निग /2853/ II/15

न्यायालय श्रीमान् - राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, कैम्प रीवा (म०प्र०)

Rs 20/-

(134)

277
27.7.15

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक -------/2015-16

भारत प्रसाद वर्मा तनय स्वर्गीय अनन्दे कहार उम्र 60 साल पेशा खेती निवासी ग्राम लोनहा तहसील चुरहट, जिला सीधी म०प्र० ----- आवेदक

बनाम,

1 - रामकुमार साकेत उम्र 50 साल } पिता स्व० सतई साकेत
2 - रामबहोर साकेत उम्र 45 साल }

3 - श्रीमती सुकवरिया साकेत पत्नी स्व० गोविन्द साकेत उम्र 55 साल

4 - श्यामलाल साकेत पिता स्व० गोविन्द साकेत उम्र 25 साल

सभी निवासी ग्राम लोनहा तहसील चुरहट, जिला सीधी म०प्र०

5 - कल्ली साकेत पत्नी रामकृपाल साकेत निवासी ग्राम डमक तहसील सिहावल जिला सीधी म०प्र० उम्र 40 साल पुत्र स्व० सतई साकेत,

6 - विद्या प्रसादवर्मा तनय श्री अनन्दे कहार निवासी ग्राम लोनहा तहसील चुरहट, जिला सीधी म०प्र० ------------ अनावेदकगण

श्री इन्दुलाल सोंधिया 27.7.15
द्वारा आज दिनांक
प्रस्तुत किया गया

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी प्रकरण.

न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक - 74/निगरानी/06-07 में पारित आदेश दिनांक 14.12.06 के विरुद्ध निगरानी निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नांकित है :---

1/ यह कि प्रस्तुत की जा रही निगरानी के निराकरण हेतु तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निवेदित किया जाना आवश्यक है जो इस तरह है कि :---

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2853–दो/2015 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–6–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के प्र0 कं0 74/निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 14–12–2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में 9 से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। म्याद अधिनियम की धारा 5 में आवेदक द्वारा विलम्ब के जो आधार दिये हैं वे समाधानकारक प्रतीत नहीं होते हैं। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी अवधि बाह्य होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	